न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 159/2020

1. दौलाराम पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी मलसीसर त0 भादरा।
2. निलेश पुत्र सुरेश जाति जाट निवासी मलसीसर त0 भादरा।

:– **वादीगण**

ब ना म

1. मनफूल पुत्र मगनीराम जाति जाट निवासी मलसीसर त0 भादरा।
2. कमला पुत्री मनफूल जाति जाट निवासी मलसीसर त0 भादरा।
3. विद्या पुत्री मनफूल जाति जाट निवासी मलसीसर त0 भादरा।
4. परमेश्वरी पुत्री मनफूल जाति जाट निवासी मलसीसर त0 भादरा।
5. राजबाला पत्नी सुरेश जाति जाट निवासी मलसीसर त0 भादरा।
6. प्रगति पुत्री सुरेश जाति जाट निवासी मलसीसर त0 भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री कपूरचंद शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मलसीसर के खाता सं0 174/168 के खसरा सं0 213 की 2.9970है0 खसरा सं0 219 की 2. 7950है0 खसरा सं0 416 की 3.035है0 खसरा सं0 416/730 की 1.8720है0 कुल 10. 6990है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 मनफूल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।, में प्रतिवादी सं 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूकिं प्रतिवादी सं 1 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी सं0 5 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयुटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 दौलाराम पुत्र मनफूल व वादी सं0 2 निलेश पुत्र सुरेश को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23-0[illegible]-21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:19:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 159/2020

1. दौलाराम पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी मलसीसर त0 भादरा।
2. निलेश पुत्र सुरेश जाति जाट निवासी मलसीसर त0 भादरा।

:– वादीगण

ब ना म

1. मनफूल पुत्र मगनीराम जाति जाट निवासी मलसीसर त0 भादरा।
2. कमला पुत्री मनफूल जाति जाट निवासी मलसीसर त0 भादरा।
3. विद्या पुत्री मनफूल जाति जाट निवासी मलसीसर त0 भादरा।
4. परमेश्वरी पुत्री मनफूल जाति जाट निवासी मलसीसर त0 भादरा।
5. राजबाला पत्नी सुरेश जाति जाट निवासी मलसीसर त0 भादरा।
6. प्रगति पुत्री सुरेश जाति जाट निवासी मलसीसर त0 भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री कपूरचंद शर्मा: वादीगण

वकील श्री सुरेन्द्र बेनिवाल : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मलसीसर के खाता सं0 174/168 के खसरा सं0 213 की 2.9970है0 खसरा सं0 219 की 2.7950है0 खसरा सं0 416 की 3.035है0 खसरा सं0 416/730 की 1.8720है0 कुल 10.6990है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 मनफूल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादीगण के दादा मगनीराम की खातेदारी हुआ करती थी। मगनीराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 मनफूल ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादीगण एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहता है जिसके लिए उन्हे केसीसी [illegible] आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हि[illegible] राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा [illegible] लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:19:14 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त [illegible]गण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 6 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Scanned with CamScanner

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 दौलाराम पुत्र मनफूल के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही मलसीसर संवत 2071–74 प्रदर्श 1 खसरा मिलान संवत 2020 प्रदर्श 2 प्रमाणित प्रति पास बुक प्रदर्श 3 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने रोही मलसीसर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही मलसीसर संवत 2071–74 प्रदर्श 1 खसरा मिलान संवत 2020 प्रदर्श 2 प्रमाणित प्रति पास बुक प्रदर्श 3 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये। जिसमें जमाबंदी प्रदर्श 2 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 4 में वारिस प्रमाण के अनुसार मनफूल के दो पुत्र दौलाराम व सुरेश (सुरेश के फौत होने पर उसके जायज वारिसान में राजबाला पत्नी सुरेश, निलेश पुत्र सुरेश व प्रगति पुत्री सुरेश को दावा में पक्षकार बनाये गये है।) व तीन पुत्रियां कमला, विद्या, परमेश्वरी तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है जिसमें प्रतिवादी सं 1 मनफूल का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावें। चूकिं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने वादीगण के पक्ष में अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया व प्रतिवादी सं0 5 व 6 ने अपना हक हिस्सा वादी सं 02 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। रोही किंकराली में प्रतिवादी सं0 1 के नाम वाद भूमि के अलावा अन्य कृषि भूमि भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसे प्रतिवादी मनफूल के नाम यथावत रखा गया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर आंशिक स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मलसीसर के खाता सं0 174/168 के खसरा सं0 213 की 2.9970है0 खसरा सं0 219 की 2.7950है0 खसरा सं0 416 की 3.035है0 खसरा सं0 416/730 की 1.8720है0 कुल 10.6990है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 मनफूल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में प्रतिवादी सं 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहि[illegible] के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूकिं प्रति[illegible] सं 1 ता 4 ने [illegible] हि[illegible]स्सा वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी सं0 5 ता 6 ने [illegible] के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग [illegible]सार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि [illegible] भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 [illegible]राम पुत्र मनफूल व वादी सं0 2 निलेश पुत्र सुरेश को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:19:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

निर्णय आज दिनांक 23.3.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक)भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:19:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner